हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 मार्च, 2011

संख्या का०आ० 29/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2011.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59-की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 1/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2011, दिनांक प्रथम फरवरी, 2011 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, अनुसूची ख में, खाना 1 तथा के नीचे, क्रम संख्या 3ख तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

1	2
"3ख	सेवारत केन्द्रीय पुलिस बल कर्मिकों तथा पूर्व केन्द्रीय पुलिस बल कार्मिकों को केन्द्रीय पुलिस बल कैन्टीनों द्वारा बेची जाने वाली सभी वस्तुएं";

रमेन्द्र जाखू ,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।